कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द
जिला महासमुन्द(छ.ग.)

692
क्र. 01 ...../अनुमति/ महासमुन्द, दिनांक 07/02/2011

शिक्षा संहिता अध्याय 3 नियम 33(11) के अनुसार समिति मेडिकल सिस्टर्स आफ सेंट फ्रांसिस आफ एसीसी पिथोरा पंजीयन क्र. 4464 द्वारा संचालित शाला का नाम सन्त फ्रांसिस स्कूल राजासेवैया खुर्द पिथोरा ..... को शिक्षा सत्र 2011-12 ..... के लिए कक्षा 6 वी से 8वी करने की अनुमति/मान्यता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :-

1. शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पढाई की जाएगी।
2. छात्र के नाम से चंदा, दान, शिक्षण शुल्क नहीं लेना होगा।
3. प्रबंधक को शाला भवन, साज-सज्जा, फर्नीखचर, खेल मैदान, शौचालय आदि की व्यवस्था करनी होगी।
4. भर्ती नियम 1979 एवं सेवा संधारित नियमों का पालन करना होगा।
5. शिक्षको/कर्मचारियों को शासकीय वेतनमान एवं भत्ते का भुगतान क्रास चेक के माध्यम से करना होगा।
6. शिक्षको की नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित आर्हता एवं योग्यता के अनुसार होनी चाहिए।
7. अस अनुमति/मान्यता के जारी होने के फलस्वरूप शाला को ना ही शासकीय अनुदान की पात्रता होगी, ना ही शिक्षा विभाग अनुदान देने हेतु बाध्य होगा।
8. इस कार्यालय द्वारा निरीक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए जो भी अभिलेख मांगे जाएंगे, प्रस्तुत नहीं करने पर यह अनुमति/मान्यता रद्द कर दी जावेगी या निरस्त की जा सकेगी।
9. शाला संचालन एवं शिक्षकों का वेतन देने के लिए प्राथमिक शाला के लिए रू. 10,000/- पूर्व माध्यमिक शाला के लिए रू. 15,000/- हाईस्कूल के लिए रू. 20,000/- उच्चतर माध्यमिक शाला के लिए रू. 25,000/- प्रारंभिक राशि इस उद्देश्य से जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
10. समिति को शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
11. क्रीड़ा शुल्क, स्काउट गाईड, रेड क्रास आदि का निर्धारण अंशदान जमा करना होगा।
12. शाला का वित्तीय विवरण पत्रक चार्टर्ड एकाउण्टेंट से आडिट कराकर अनिवार्यत: प्रस्तुत करें।
13. प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की रजिस्टर्ड फर्म्स सोसायटी से प्रमाणित सूची प्रस्तुत करें।

उपरोक्त शर्तो की पूर्ति नहीं होने पर संस्था की अनुमति/मान्यता बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

693
क्र. 02 ...../अनुमति/ महासमुन्द, दिनांक 07/02/2011

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द को सूचनार्थ
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ..... पिथोरा ..... को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

Rosamma
MANAGER
St. FRANCIS SCHOOL
RAJASEWAIYA KHURD
PITHORA MAHASAMUND

PRINCIPAL
ST. FRANCIS SCHOOL
RAJA SEWAIYA KHURD
PITHORA P.O. PIN - 493551
DIST. - MAHASAMUND (C.G.)